भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या- 2

उत्तर देने की तारीख-22/07/2024

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आमूलचूल परिवर्तन

†*2. **श्री बी. मणिक्कम टैगोर:**

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (एनईईटी-यूजी) के प्रश्नपत्रों के लीक होने के मद्देनजर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आमूलचूल परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि एनईईटी के प्रश्नपत्रों के लीक होने के कारण 24 लाख से अधिक छात्र प्रभावित हुए, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत सात वर्षों के दौरान ऐसे सत्तर प्रश्नपत्र लीक हुए, जिसके कारण दो करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए;

(घ) छात्रों के भविष्य की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या सरकार कई राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु द्वारा की गई मांग के अनुसार, एनईईटी परीक्षाओं को रद्द करने पर विचार कर रही है?

उत्तर

शिक्षा मंत्री

(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ.) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

*****

"राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आमूलचूल परिवर्तन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य (सदस्यों) श्री बी. मणिक्कम टैगोर और डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ड.):

- नीट (यूजी) 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा दिनांक 5 मई 2024 को 571 शहरों (विदेश के 14 शहरों सहित) के 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई।
- परीक्षा के लिए 24,06,079 उम्मीदवारों द्वारा पंजीकरण कराया गया, जिनमें से 23,33,297 उम्मीदवार इसमें शामिल हुए। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा आयोजित करने के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामलों की सूचना मिली। केवल एक मामले में प्रश्नपत्र की अभिरक्षा की श्रृंखला में उल्लंघन होने की संभावना है। शिक्षा मंत्रालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संदर्भ में षडयंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के सभी पहलुओं की व्यापक जांच करने के लिए कहा है।
- एनटीए की स्थापना वर्ष 2018 में उच्चतर शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक विशेष निकाय के रूप में की गई थी। अपनी स्थापना के बाद से, एनटीए ने 5.4 करोड़ से अधिक छात्रों को शामिल करते हुए 240 से अधिक परीक्षाएं आयोजित की हैं।
- इसके अतिरिक्त, एनटीए द्वारा पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने हेतु प्रभावी उपाय सुझाने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल और एनटीए की संरचना और कामकाज में सुधार पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञ शामिल हैं:

1	डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष, इसरो और अध्यक्ष बीओजी, आईआईटी कानपुर।	अध्यक्ष
2	डॉ. रणदीप गुलेरिया, पूर्व निदेशक, एम्स दिल्ली।	सदस्य
3	हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बी.जे. राव	सदस्य
4	प्रोफेसर राममूर्ति के, प्रोफेसर एमेरिटस, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी मद्रास।	सदस्य
5	श्री पंकज बंसल, सह-संस्थापक, पीपल स्ट्रॉन्ग और बोर्ड के सदस्य-कर्मयोगी भारत।	सदस्य
6	प्रोफेसर आदित्य मित्तल, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, आईआईटी दिल्ली	सदस्य
7	श्री गोविंद जायसवाल, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य सचिव

- समिति ने दो और सदस्यों अर्थात् प्रो अमेय करकरे, प्रोफेसर ऑफ कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर और डा देबप्रिय राय, सहायक प्रोफेसर, आईआईटी कानपुर को भी सहयोगी के रूप में रखा है।

  समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक में संलग्न हैं।

- सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण के रूप में, केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 बनाया है। यह अधिनियम दिनांक 21 जून, 2024 से लागू हुआ है और इसके तहत दिनांक 23 जून, 2024 को नियमों को भी अधिसूचित किया गया है।

- इस समय, एनईईटी (यूजी) परीक्षा को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुलग्नक

"राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आमूलचूल परिवर्तन" के संबंध में माननीय संसद सदस्य (सदस्यों) श्री बी मणिक्कम टैगोर और डॉ कलानिधि वीरास्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 22.07.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 2 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय

(i) परीक्षा प्रक्रिया तंत्र में सुधार

(क) संपूर्ण परीक्षा प्रक्रिया का विश्लेषण करना तथा प्रणाली की दक्षता में सुधार लाने तथा किसी भी संभावित उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय सुझाना।

(ख) एनटीए की मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी)/प्रोटोकॉल की गहन समीक्षा करना, तथा प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र के साथ-साथ इन प्रक्रियाओं/प्रोटोकॉल को मजबूत करने के उपाय सुझाना।

(ii) डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार

(क) एनटीए की मौजूदा डेटा सुरक्षा प्रक्रियाओं और प्रोटोकॉल का मूल्यांकन करना और इसके सुधार के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(ख) विभिन्न परीक्षाओं के लिए पेपर-सेटिंग और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित मौजूदा सुरक्षा प्रोटोकॉल की जांच करना तथा प्रणाली की मजबूती बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।

(iii) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली

(क) बिंदु 3(i) और 3(ii) के तहत दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की संगठनात्मक संरचना और कार्यप्रणाली के संबंध में सिफारिशें करना और प्रत्येक स्तर पर पदाधिकारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना।

(ख) एनटीए के वर्तमान शिकायत निवारण तंत्र का मूल्यांकन करना, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करना तथा इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए सिफारिशें करना।